न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 277/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/277)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. भूपेन्द्रजीत सिंह मान पुत्र जोगिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं प्रथम तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 28.08.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, श्री इन्द्राज कुमार सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 02.04.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 05/05, खाता संख्या 20/20, खाता संख्या 22/22, खाता संख्या 55/55, खाता संख्या 87/87 व राजस्व ग्राम 7 वीं, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/21 में वादी के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज है। वादी के पहचान सम्बधी दस्तावेजो में नाम भूपेन्द्रजीत सिंह मान पुत्र जोगिन्द्र सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 05/05, खाता संख्या 20/20, खाता संख्या 22/22, खाता संख्या 55/55, खाता संख्या 87/87 व राजस्व ग्राम 7 वीं पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/21 में अंकित नाम भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के स्थान पर भूपेन्द्रजीत सिंह मान दर्ज किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 155 दिनांक 29.01.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 5/5, 20/20, 22/22,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

55/55, 87/87 व चक 7 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 17/21 में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि भूपेन्द्रजीत सिंह व भूपेन्द्रजीत सिंह मान एक ही व्यक्ति के नाम है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 05/05 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 20/20 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 22/22 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 55/55 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 87/87 की छायाप्रति व राजस्व ग्राम 7 वीं, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/21 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 05/05, खाता संख्या 20/20, खाता संख्या 22/22, खाता संख्या 55/55, खाता संख्या 87/87 व राजस्व ग्राम 7 वीं, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/21 में अंकित नाम भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के स्थान पर भूपेन्द्रजीत सिंह मान पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम भूपेन्द्रजीत सिंह मान पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 5/5, 20/20, 22/22, 55/55, 87/87 व चक 7 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 17/21 में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज है। दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि भूपेन्द्रजीत सिंह व भूपेन्द्रजीत सिंह मान एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहच[illegible] दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिस[illegible] समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र [illegible] धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 05/05, खाता संख्या 20/20, खाता संख्या 22/22, खाता संख्या 55/55, खाता संख्या 87/87 व राजस्व ग्राम 7 वीं, पटवार हल्का 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/21 में अंकित नाम भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के स्थान पर भूपेन्द्रजीत सिंह मान पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

भूपेन्द्रजीत सिंह मान बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 277/2023
निर्णय दिनांक :- 02.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 05/05, खाता संख्या 20/20, खाता संख्या 22/22, खाता संख्या 55/55, खाता संख्या 87/87 व राजस्व ग्राम 7 वीं, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/21 में अंकित नाम भूपेन्द्रजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के स्थान पर भूपेन्द्रजीत सिंह मान पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 02.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/116
दिनांकः 02.04.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)